(ii) Status of implementation of recommendations contained in the Thirty-first Report of Department-related Parliamentary Standing Committee on Information Technology

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI MILIND DEORA): Sir, I make a statement regarding status of implementation of recommendations contained in the Thirty-first Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Information Technology (2012-13) pertaining to the Department of Telecommunications.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Dharna at Jantar Mantar for old age pension

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र) : सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां ओल्ड एज़ पेंशन के बारे में बोलने का मौका दिया।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please start. You are losing time. आप बोलना शुरू कीजिए।

श्री हुसैन दलवई : सर, दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछली 4 तारीख से तीन हजार से ज्यादा वृद्ध और असंगठित लोग बैठे हुए हैं, जिनमें 50 परसेंट महिलाएं हैं। उनकी मांग है कि उनको पेंशन मिलनी चाहिए। जिसके पास बीपीएल कार्ड है, उसको आज केन्द्र सरकार हर महीने 200 रुपये पेंशन देती है, लेकिन बीपीएल कार्ड सभी के पास है, ऐसी कोई बात नहीं है। 50 फीसदी लोगों के पास यह कार्ड नहीं है, जिसके कारण उनको यह पेंशन नहीं मिलती है और उससे बहुत सारी फैमिलीज़ बाहर रहती हैं। अभी तक गरीबी रेखा से नीचे ऐसे 50 फीसदी लोग हैं, जिनको यह कार्ड नहीं दिया गया है। उन लोगों में वृद्ध हैं, ज़ईफ़ हैं अपाहिज हैं, विधवा हैं और महिलाएं हैं, जिनको प्रतिष्ठा देने के लिए एक यूनिवर्सल डिसीज़न लेना चाहिए। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन सब को आपको पेंशन देनी चाहिए। आज यह जो 200 रुपये पेंशन दी जाती है, उससे उनका कुछ नहीं होगा। उनकी डिमांड है कि इसको 2000 रुपये किया जाए। मैं इसको 2000 रुपये करने की मांग नहीं करूंगा, लेकिन इसमें आप कुछ न कुछ बढ़ोत्तरी कीजिए। अगर आप इस पेंशन को आज तीन गुना करेंगे और इसको महंगाई से जोड़ेंगे, तो ठीक रहेगा। इसके लिए सारे लोग वहां बैठे हुए हैं। उन्होंने मई के महीने में जब धरना दिया था, तब उस समय मंत्री महोदय जयराम रमेश जी ने उनकी मांगों के संबंध में प्रधानमंत्री को एक लेटर लिख कर यह बात भी कही थी कि उनकी मांगें legitimate हैं। आज ये यहां उपस्थित हैं, मैं इनसे विनती करता हूं कि वे लोग बहुत दिनों से वहां

पर बैठे हैं और वे 8 तारीख तक वहां और बैठने वाले हैं, तो उनकी मांगों पर ठीक ढंग से विचार करके उन्हें राहत देने का काम करना चाहिए।

सर, इस देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग 94 परसेंट हैं। उनकी एज़ 65 साल होने के बाद यह देने का जो निर्णय है, वह मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि 40 साल के बाद ये लोग काम ही नहीं कर सकते। उनकी डिमांड है कि इसको कम-से-कम 55 साल और महिलाओं के लिए यह 50 साल किया जाए। आप इसको भी कीजिए, ऐसी मेरी मांग है।

मैं मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि उनको यह मांग माननी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के बारे में सोचती रहती है।

श्री उपसभापति : टाइम खत्म हो गया। Not going on record.

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (Odisha): Sir, I would like to associate myself with this issue.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, while associating myself with this issue, I would like to draw the attention of the House to this important issue. Sir, the Pension Parishad is a nationwide campaign. They are holding a dharna. Thousands of women and men are sitting on a dharna. Elderly people are the most vulnerable and marginalized section of our society. They need protection in the absence of a universal social security. Sir, the pension scheme is one of the best schemes and it should be made universal. The money given by the Central Government will have to be enhanced. The hon. Minister, Shri Jairam Ramesh is very sympathetic towards this cause. He is a very able Minister. I hope he will respond to it and consider their demands.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, all of you are associating yourselves with it. Shrimati Rajani, Dr. Sadho, Shri Narayanan, Dr. Seema are associating themselves with this issue.

SHRIMATI RAJANI PATIL (Maharashtra): Sir, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

डा. विजयलक्ष्मी साधौ (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं भी इससे अपने आपको सम्बद्ध करना चाहती हूं।

SHRI C.P. NARAYANAN (Kerala): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. T.N. SEEMA (Kerala): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. NAJMA A. HEPTULLA (Madhya Pradesh): Sir, there should be no discrimination against men and women. It should be equal. It should not be 50 and 55. If it is 55 for men, it should be the same for women.

DR. BHARATKUMAR RAUT (Maharashtra): Sir, it is shameful for the nation that the old people have to come from different parts of the country to Delhi to ask for fulfilling a meagre demand, which is a legitimate and natural demand. So, we should all denounce what is happening.

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) : उपसभापति महोदय, केन्द्र सरकार की ओर से तीन पेंशन स्कीम्स चलाई जाती हैं। एक, बुजुर्गों के लिए जिसमें 200 रुपए प्रति महीना दिया जाता है, दूसरी, विधवाओं के लिए जिनको प्रति महीना 300 रुपए दिया जाता है और विकलांगों के लिए, जिनको भी 300 रुपए प्रति महीना दिया जाता है। कुल मिलाकर 2012-13 में पेंशन पर करीब आठ हजार चार सौ करोड़ रुपए केन्द्र सरकार ने खर्च किए हैं और अगले साल, यानी कि 2013-14 में हम उम्मीद करते हैं कि करीब नौ हजार चार सौ करोड़ रुपए खर्च होंगे, इन पेंशन कार्यक्रमों पर। मैं जानता हूं कि जंतर-मंतर पर कल से कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वे लोग अलग-अलग राज्यों से आए हैं और उनकी कई मांगें हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से सम्पर्क किया है। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा है कि उनसे बातचीत करनी चाहिए और अगले चार-पांच हफ्तों में ही कुछ समझौता होना चाहिए, ताकि हम जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें हम कुछ मूल परिवर्तन लाएं। पेंशन परिषद् के साथ मेरी दो बैठकें हुई हैं। मैं सांसदों को अवगत कराना चाहता हूं कि कुछ मूल सिद्धांतों पर हमने सहमति बनाई है। पहला, एक जो सबसे महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत यह है कि यह बीपीएल, एपीएल वर्जन हमको हटाना चाहिए, पेंशन की यूनिवर्सलाइज करना चाहिए, परन्तु exclusion criteria के आधार पर। तो यह पहले मूल सिद्धांत पर हमने मोटे तौर से सहमति बनाकर रखी है। दूसरा मुद्दा जो परिभाषा का उठा है, जिससे मैं सहमत हूं। मेरा भी यही विचार रहा है कि हमें परिभाषाओं में परिवर्तन लाने की जरूरत है। आज विधवा की परिभाषा में 40 साल से ऊपर की विधवाओं को पेंशन मिलती है। मैंने कहा है कि 18 साल से ऊपर की विधवाओं को भी शामिल करना चाहिए। विकलांगों के बारे में आज की परिभाषा में 80 प्रतिशत डिस-एबिलिटी होना जरूरी है और 20 साल से ज्यादा नौजवानों या बुजुर्गों को डिस-एबिलिटी पेंशन मिलती है। हमने यह कहा है कि विकलांगों की परिभाषा 40 प्रतिशत डिस-एबिलिटी होनी चाहिए और सभी डिस-एबिल को, सभी विकलांगों को पेंशन मिलनी चाहिए। यह तीसरा मूल सिद्धांत हुआ। चौथे मूल सिद्धांत पर जो

सहमति बनी है, हम जो पेंशन कार्यक्रम चलाते हैं, आज बुजुर्गों के लिए 200 रुपए हैं और विधवाओं तथा विकलांगों के लिए 300 रुपए प्रति महीना है। और विधवाओं व विकलांगों के लिए 300 रुपए है। इसे पहले चरण में सभी के लिए एक समान 300 रुपए जरूर बनाया जाना चाहिए।

उपसभापति महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि आज 300 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है, हमें इसे कुछ बढ़ाना चाहिए और जैसे कि हम हर साल "महात्मा गांधी नरेगा" में मजदूरी को inflation से जोड़ते हैं, पेंशन को भी inflation index से जोड़ने की जरूरत है। इस मूल सिद्धांत पर हमने समझौता किया है। हालांकि कुछ मुद्दों पर हमारे विचार अलग हैं, पेंशन परिषद् चाहती है कि इसी साल से ये सब परिवर्तन लागू हों, वह चाहती है कि पेंशन का amount 2000 रुपए हो।

सर, मैं मंत्रिमंडल का एक सदस्य हूं। मैं अपने विचार रख सकता हूं, लेकिन अंत में मुझे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी से बात करनी होगी। मैंने पेंशन परिषद् को कहा है कि मैं अपनी ओर से यह प्रयास जरूर करूंगा कि इसे 300 रुपए से बढ़ाया जाए और इसी साल से यह लागू हो।

उपसभापति महोदय, मैं अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं। हमारे देश में हम कहते हैं कि हर महीने पेंशन मिलनी चाहिए, परंतु देश में सिर्फ 4 या 5 ऐसे राज्य हैं, जहां पेंशन हर महीने बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को मिलती है, जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिलती है। हो सकता है, 3-4 और ऐसे राज्य हों,...**(व्यवधान)**... हरियाणा में भी मिलती होगी, परंतु मेरी जानकारी में ज्यादा-से-ज्यादा राज्यों में पेंशन 6-7-8 महीने में एक बार मितली है। उपसभापति महोदय, इस बारे में भी विचार करने की जरूरत है और पेंशन वितरण प्रणाली में परिवर्तन लाने की जरूरत है।

श्री उपसभापति : मंत्री महोदय, समाप्त कीजिए।

श्री जयराम रमेश : और अगले 4-5 हफ्तों में जब हम इसमें परिवर्तन करेंगे तो इस बारे में भी हम जरूर विचार करेंगे।

Recent attacks on Hindus in Bangladesh

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड) : उपसभापति महोदय, मैं अपने पड़ोस बंगला देश में हिन्दुओं पर हुए अत्याचार व हमलों के बारे में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, बंगला देश हमारा मित्र देश है और वहां हमारी मित्र सरकार है। वहां हाल ही में हुई शाहबाग राइजिंग ने विश्व में एक अद्भूत, रोमांचक ऐसा दृश्य उपस्थित किया, जिसमें वहां का सेकुलरवाद, वहां की लोकतंत्रवादी जनता, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी ने एकत्र होकर बंगला देश की ध्वजा को पूरे विश्व में गौरव के साथ उठाया जिसका भारत के सभी लोग